

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

देवीलाल बनाम बालु (वर्ग 2A)

किरम मुकदमा पीपत्रा 111-128 नं० 108 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.6.23	<p>वाद / <input checked="" type="checkbox"/> प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 20.6.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>20⁶/₂₃ पत्रावली मछाई शहत कम्प एवं प्रशासन गाँवो के संग अभियान 20 23 ग्राम पंचायत लेसवा मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठस्थान अधिकारी-हुक्मीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 108/23 प्राप्त्र

1- श्री देवी लाल सो तारतार ललई निवासी माण्डल तहसील माण्डल

-प्राथी

बनाम

- 1- श्री लक्ष्मण सो तारतार ललई निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल
- 2- श्री गोपाल सो तारतार ललई " " "
- 3- श्री लालु सो गोपी ललई " " "
- 4- श्री केशव सो रागलाल लुहार " " "
- 5- राहात्यान अण्ण जरिए तहसीलदार सां माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक - 20.06.23

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **मलगावी** पटवार हल्का **माण्डल** तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. **1331, 1332** कुल किता **0.2** रकबा **0-3668** हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतादायिबा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **05.06.23** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **मलगावी** पटवार हल्का **माण्डल** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. **1331, 1332** कुल किता **0.2** रकबा **0-3668** हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **माण्डल** को **500/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जायें।

हुक्मीचन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुक्मीचन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023